कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा–संभाग–अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

e-mail – jdhealthsurguja@gmail.com

आदेश

क्रमांक/सं.सं.अं./स्था.नर्सिंग/2021/574:: छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के 135 रिक्त पदों (बैकलाग पद सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर दिनांक 17.08.2020 से 31.08.2020 तक कार्यालयीन समय 05.00 बजे तक आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के परिपेक्ष्य में चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाकर एवं चयन समिति की अनुसंशा के आधार पर अन्य पिछड़ा (मुक्त वर्ग) की जारी प्रतीक्षा सूची के तहत् अन्य पिछड़ा (मुक्त वर्ग) के अतर्गत चयनित अभ्यर्थीयों को स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल 07 में वेतन रू0 28,700/– में तथा शासन द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तों पर 03 वर्ष की परिविक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:–

क्र	नाम	पिता का नाम	पदस्थापना स्थान
1	संगीता	श्री बनवारी लाल	50 बिस्तर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, उदयपुर, जिला– सरगुजा छ0ग0।
2	प्रतीमा कुशवाहा	श्री बेचन राम कुशवाहा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– केदमा, जिला– सरगुजा छ0ग0।

2/ उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी–

1. नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगा।
2. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थल पर अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. यह नियुक्ति रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 593/2013 एवं 594/2012 मे माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
4. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थायी एवं अर्ध्दस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद मे यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस के सेवा छोड दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि मे जितनी कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
5. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोडने पर उक्त शर्त की कंडिका 3 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा मे की जा रही है। ऐसी स्थिति मे जिन अभ्यार्थियों का चरित्र सत्यापन मे विपरीत टिप्पणी पायी जाती है उन्हें शासकीय सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरूध्द विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
7. **कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रथम उपस्थिति प्रतिवेदन मय समस्त दस्तावेज की स्व–सत्यापित छायाप्रति तथा उनकी मूल प्रति दस्तावेज मिलान हेतु संबंधित पदस्थापना स्थल जिले के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रथम उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
8. नियुक्ति पर शासनादेश अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. अभ्यर्थी के द्वारा रू. 03–00 (तीन) मात्र मुख्य शीर्ष – "2210 – मेडिकल" में चालान के द्वारा जमा कर चालान की एक प्रति प्रथम उपस्थिति प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 02 माह की समयावधि मे जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मण्डल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
11. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को रू. 50—00 (पच्चास) मात्र के न्यायालयीन स्टाम्प पेपर पर स्वयं का कथन किया हुआ तथा शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, चयनित अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा दी गई जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति मे सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
13. अभ्यर्थी को अपने नियुक्ति स्थान पर मुख्यालय बनाकर रहना अनिवार्य होगा।
14. उक्त अभ्यार्थियों की वरिष्ठता अन्तिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
15. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे रहेगी, परिवीक्षा अवधि मे कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
16. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग.की याचिका क्रमांक 3739/2020 द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
17. उपर्युक्त नियुक्ति मे (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ0ग0

पृ. क्रमांक/सं.सं.अं./स्था.नर्सिंग/2021/575 — अम्बिकापुर,दिनांक : 02/09/2021

प्रतिलिपिः—
1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संभागायुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. संचालक,विज्ञान एवं सूचना अधिकारी , एन.आई.सी. छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईट मे अपलोड किये जाने हेतु संप्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर, सरगुजा—संभाग, छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा—संभाग, छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
8. समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा—संभाग, छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
9. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, सरगुजा—संभाग, छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
10. विज्ञान एवं सूचना अधिकारी , एन.आई.सी. छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईट मे अपलोड किये जाने हेतु संप्रेषित।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकी, सरगुजा संभाग, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सरगुजा संभाग, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र........................ सरगुजा संभाग, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित श्री.. जिला........................... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। (अभ्यार्थी अपने आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड करें)
15. आदेश फाईल।
16. नस्ती फाईल।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ0ग0